भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2912

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

2912. श्री नीरज मौर्य:
सुश्री इकरा चौधरी:
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, राज्य/जिला-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश और जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत स्वीकृत उक्त स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा क्या है, जिनका निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी अधूरा या लंबित है;

(ख) देश में, जिला-वार, विशेषकर उक्त राज्य और निर्वाचन क्षेत्र में, ऐसे स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों या अस्पतालों का पूरी तरह से निर्मित भवनों का ब्यौरा क्या है, जो स्टाफ की कमी, उपकरणों के अभाव या राज्य सरकार को हस्तांतरित न किए जाने के कारण गैर-कार्यशील बने हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में, राज्य-वार विशेषकर उक्त राज्य और निर्वाचन क्षेत्र में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई उन निधियों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित हैं, साथ ही वर्तमान में लंबित पड़ी अप्रयुक्त राशि की मात्रा कितनी है; और

(घ) परियोजनाओं में अत्यधिक देरी और कम निधि उपयोग की समीक्षा के लिए तंत्र और दोषी निर्माण एजेंसियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला-केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य सामुदायिक अवसंरचना के क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का सृजन करना है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके निष्पादन एवं पूर्णता हेतु उत्तरदायी हैं। तथापि, कुछ मामलों में भूमि संबंधी विवादों, निविदा प्रक्रिया में विलंब, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, परियोजना स्थलों में परिवर्तन तथा संबंधित राज्य के हिस्से को जारी करने में होने वाले विलंब के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अपूर्ण अथवा लंबित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित संस्थान भी सम्मिलित हैं, **अनुबंध–I** में दिया गया है। जौनपुर जनपद, जिसमें जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत कोई परियोजना पूर्णता हेतु लंबित नहीं है।

(ख) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत निर्मित एवं पूर्ण की गई अवसंरचनाओं के संचालन, रखरखाव तथा उन्हें कार्यशील बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। मंत्रालय ऐसे पूर्ण हो चुके विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों अथवा अस्पतालों के अभिलेख नहीं रखता है, जो कर्मचारियों की कमी, आवश्यक उपकरणों के अभाव या राज्य सरकार को हस्तांतरित न किए जाने के कारण कार्यरत नहीं हैं। अतः इस संबंध में अपेक्षित जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्यों को सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) ढाँचे के अंतर्गत एकमुश्त राशि के रूप में निधियाँ जारी की जा रही हैं, जो एक साझा कोष का हिस्सा होती हैं, जिसमें से राज्य स्वीकृत PMJVK परियोजनाओं के लिए परियोजना की तैयारी, कार्यान्वयन की आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक प्राथमिकताओं के आधार पर इस निधि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई 2025 से PMJVK को SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार 'जस्ट-इन-टाइम (JIT)' तंत्र के माध्यम से निधियाँ जारी की जाती हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को 285.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है तथा 392.85 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं निधियों के उपयोग की निगरानी PMJVK पोर्टल तथा PMJVK-निगरानी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से की जाती है, जोकि वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति, परियोजना स्थिति, व्यय, निधियों के उपयोग, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति,

जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स तथा राज्यवार, जिला-वार एवं क्षेत्रवार एमआईएस रिपोर्टों की डिजिटल निगरानी को सुगम बनाते हैं। जुलाई 2025 से SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है, जिससे सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली के अंतर्गत जस्ट-इन-टाइम निधि निर्गमन एवं वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी संभव हो सकी है।

जिन परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब, निधियों का कम उपयोग अथवा रिपोर्टिंग में देरी पाई जाती हैं, उनकी नियमित समीक्षा डिजिटल निगरानी, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। इन समीक्षाओं के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) की परियोजनाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होने के कारण, निर्माण कार्य में लापरवाही या अनुबंधीय दायित्वों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुबंध की शर्तों एवं लागू नियमों के अनुरूप की जाती है।

अनुबंध-I

'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' विषय पर माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य, सुश्री इकरा चौधरी, श्री बाबू सिंह कुशवाहा और श्रीमती रुचि वीरा द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2912 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

PMJVK के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित ऐसे स्वीकृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का राज्यवार विवरण जो अभी भी अपूर्ण/लंबित हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माणाधीन पर परियोजनाओं की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	41
बिहार	8
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	29
केरल	5
महाराष्ट्र	4
मेघालय	1
मिजोरम	4
राजस्थान	18
सिक्किम	21
तमिलनाडु	4
उत्तर प्रदेश	4
उत्तराखंड	5
पश्चिम बंगाल	6
कुल	**154**

अनुबंध-II

'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' विषय पर माननीय सांसद श्री नीरज मौर्य, सुश्री इकरा चौधरी, श्री बाबू सिंह कुशवाहा और श्रीमती रुचि वीरा द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2912 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा, जिनके संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अभी प्राप्त नहीं हुए हैं तथा वर्तमान में देश में लंबित अप्रयुक्त शेष राशि का विवरण, विशेषकर संबंधित राज्य एवं निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में।

(राशि: करोड़ रुपये में)

जारी केंद्रीय अंश							
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल केंद्रीय राशि निर्गम**	**कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र**	**पिछले 3 वर्षों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र**
1	आंध्र प्रदेश			1.86	1.86	6.43	1.86
2	अरुणाचल प्रदेश		73.00	103.23	176.23	23.30	23.30
3	असम		129.00	197.56	326.56	83.14	83.14
4	बिहार			-	-	126.17	-
5	छत्तीसगढ़			0.00	0.00	0.00	0.00
6	गुजरात			-	-	1.71	-
7	हरियाणा			0.33	0.33	0.03	0.03
8	हिमाचल प्रदेश		5.00	9.13	14.13	0.00	0.00
9	जम्मू एवं कश्मीर			-	-	0.24	-
10	झारखंड			0.18	0.18	59.17	0.18
11	कर्नाटक	23.34	102.00	38.08	163.42	37.74	37.74
12	केरल			1.82	1.82	58.78	1.82
13	मध्य प्रदेश			9.42	9.42	10.57	9.42
14	महाराष्ट्र		20.00	64.33	84.33	12.92	12.92
15	मणिपुर	18.75	50.00	61.83	130.58	-	-
16	मेघालय			34.80	34.80	0.67	0.67

17	मिजोरम	10.00	63.19	125.00	198.19	87.04	87.04
18	नागालैंड		56.00	145.00	201.00	1.06	1.06
19	ओडिशा			0.26	0.26	0.61	0.26
20	पंजाब			0.13	0.13	3.89	0.13
21	राजस्थान		23.50	6.38	29.88	1.43	1.43
22	सिक्किम	26.25	123.73	197.75	347.73	0.00	0.00
23	तमिलनाडु		70.13	137.46	207.59	0.00	0.00
24	तेलंगाना			4.33	4.33	-	-
25	त्रिपुरा		17.50	0.43	17.93	11.17	11.17
26	उत्तर प्रदेश	35.00		250.00	285.00	392.85	285.00
27	उत्तराखंड	18.96	99.00	10.00	127.96	19.44	19.44
28	पश्चिम बंगाल			40.31	40.31	-	-
	कुल	**132.30**	**832.05**	**1,439.62**	**2,403.97**	**938.36**	**576.62**
